

निविदा का प्रारूप

कार्यालय, अधीक्षक, मंडलकारा, दरभंगा एवं उपकारा, बेनीपुर

निविदा सूचना (वित्तीय वर्ष-2016-17)

मंडलकारा, दरभंगा एवं उपकारा बेनीपुर के लिए वित्तीय वर्ष-2016-17, के लिए विभागीय पत्रांक 6952 दिनांक 14.11.2007 एवं पत्रांक-5336 दिनांक-07.09.2015 तथा 1206 दिनांक-06.03.2014 के आलाके में वित्तीय वर्ष 2016-17 की अवधि में खाद्य एवं विविध सामग्रियों तथा आलू प्याज एवं हरी सब्जियों के क्रय हेतु समेकित रूप में एक वित्तीय एवं एक तकनीकी सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है, जो अधोहस्ताक्षरी को दिनांक-03.03.2016 को 10:00 बजे पूर्वाह्न / अपराह्न तक निश्चित रूप से प्राप्त हो जानी चाहिए। प्राप्त निविदाएं दिनांक-04.03.2016 को 10:30 बजे पूर्वाह्न में जिला पदाधिकारी, दरभंगा की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में कारा क्रय समिति की बैठक में निविदादाताओं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों के उपस्थिति में खोली जायेगी।

प्रमुख खाद्य सामग्रियों, हरी सब्जी एवं विविध सामग्रियों के क्रय हेतु

निविदा की तकनीकी शर्तें:-

- (1) निविदादाताओं को मंडलकारा, दरभंगा एवं उपकारा बेनीपुर में आपूर्ति के लिए एक तकनीकी एवं एक वित्तीय निविदा देना होगा तथा सफल निविदादाताओं को आवश्यकतानुसार आपूर्ति करनी होगी। तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा।
- (2) खाद्यानों एवं विविध सामग्री के लिए (खण्ड "क" एवं "ग") मंडलकारा, दरभंगा के लिए 40,000/- उपकारा, बेनीपुर के लिए 30,000/- इस प्रकार दोनों काराओं के लिए एक मुस्त बैंक गारंटी अग्रधन के रूप में 70,000/- (सत्तर हजार रुपये) अधीक्षक, मंडलकारा, दरभंगा के पदनाम प्रतिज्ञित कर मूल रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। त्रैमासिक अवधियों में हरी सब्जी की आपूर्ति के लिए दोनों काराओं में निविदा हेतु मंडल कारा 10,000/-, एवं उप कारा के लिए 5,000/- इस प्रकार दोनों काराओं के लिए एक मुस्त बैंक गारंटी अग्रधन के रूप में 15,000/- (पन्द्रह हजार रुपये) अधीक्षक, मंडलकारा, दरभंगा के पदनाम से प्रतिज्ञित कर मूल रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। एक मुस्त राशि उपरोक्त काराओं के लिए उल्लेखित राशि संबंधित काराओं के बैंक गारन्टी के लिए मान्य होगा।
- (3) निविदादाताओं को आयकर एवं वाणिज्य कर का निबंधन प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा एवं अद्यतन अवधि (विगत वर्ष) का आयकर रिटर्न तथा वाणिज्य कर के अद्यतन भुगतान (विगत वर्ष) का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। आयकर अधिनियम 44 A, B के अनुसार विगत तीन वित्तीय वर्षों का टैक्स ऑडिट रिपोर्ट चार्टर एकाउटेंट का प्रस्तुत करना होगा।
- (4) खाद्यान में भाग लेने वाले निविदादाताओं को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अनुसार उन्हें लाईसेन्स/पंजीकृत रहना अनिवार्य होगा।
- (5) खाद्यान/गुड़ के निविदादाताओं को अपने खर्च पर एक-एक किलों नमूना निविदा के समय क्रय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
- (6) निविदादाताओं को जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा निकट अवधि का चरित्र प्रमाण-पत्र देना होगा।

(7) निविदादाताओं द्वारा किसी संस्थान द्वारा कालीकृत नहीं होने का अथवा कालीकरण की कारवाई लंबित नहीं होने का या किसी भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं होने संबंधित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही साथ निविदादाता द्वारा पूर्व के वर्षों में निविदा लेकर कारा में आपूर्ति संचालित नहीं करने से संबंधित कोई आरोप या कालीकरण का प्रस्ताव विचारार्थ लंबित नहीं होने का उल्लेख शपथ-पत्र में होना चाहिए।

वित्तीय शर्तें:-

(1) प्रत्येक सामग्रियों के लिए इकाईवार रूप से दर उल्लेखित करना होगा, जैसे- क, ख एवं ग में विभक्त सामग्रियों का दर (अवधि के अनुसार)।

(2) संवेदकों द्वारा निविदा में सामग्री का प्राप्त दर/बाजार दर से बहुत अधिक या कम रहने पर उस पर विचार नहीं किया जायेगा और निविदा के उस सामग्री के अंकित दर को अमान्य कर दिया जायेगा।

(3) सामग्रियों का दर पूर्णांक में मान्य होगा।

अन्य शर्तें:-

(1) निविदादाता को तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग सीलबंद लिफाफों में तथा पुनः उक्त दोनों लिफाफे का एक बड़े लिफाफे में सीलबंद कर देना होगा।

(2) एकल निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(3) सभी सामग्रियों की आपूर्ति मॉट्रिक प्रणाली में नमूना के अनुरूप बनावन रहित सभी व्यय-करों के साथ कारा भंडार पर आपूरक को अपने बोरा-कंटेनरों जिस पर " कारा में आपूर्ति हेतु" लिखा हो आपूर्ति करना होगा, जिसे खाली होने पर बिना क्षतिपूर्ति आपूरक को वापस कर दिया जायेगा, वैसे सामग्री जो कम्पनी/पैकेट/कंटेनरों में होंगे खाली होने पर भी वापस नहीं होगा। दतवन, हरी सब्जी ताजा एवं आवश्यकता और माँग के अनुरूप दैनिक आधार पर आपूर्ति करना होगा। निविदादाताओं को सुनिश्चित करना होगा कि उनका दर स्थानीय बाजार दर के अनुरूप हो। उनके द्वारा अंकित दर बाजार दर से काफी कम अथवा काफी अधिक रहने पर उनके निविदा के उस सामग्री के दर पर विचार नहीं किया जायेगा। आलू प्याज एवं हरी सब्जियों के लिए वर्ष के चारों त्रैमासिक अवधि की निविदा की अलग-अलग पन्नों में ही स्वीकार की जायेगी।

(4) सफल निविदादाताओं को आपूरित होने वाले सामग्रियों के वार्षिक अनुमानित मूल्य का 10% सत्यंकार- राशि बैंक गारंटी के रूप में संबंधित काराधीक्षक के पदनाम से प्रतिज्ञित करने के एवं ठीकाबंध पर हस्ताक्षर करने की बाद ही आपूर्ति का आदेश दिया जायेगा। ठीका लेकर मुकर जाने/ समय पर आपूर्ति न करने या गुणवत्ता के अनुरूप आपूर्ति नहीं करने पर बिना पूर्व सूचना के अन्य स्रोत से आपूर्ति ले ली जायेगी तथा इस पर होने वाले अधिकाई व्यय की राशि को संबंधित आपूरक के लंबित विपत्र या सत्यंकार राशि के बैंक गारंटी से समायोजित कर लिया जायेगा एवं भविष्य में होने वाले निविदा से उन्हें वंचित कर दिया जायेगा और कालीकरण की कारवाई भी की जायेगी। कारा क्रय समिति को यह अधिकार होगा कि निविदादाताओं द्वारा किसी भी सामग्री का व्यवहारनुकूल (Vialble) दर नहीं प्राप्त होने की स्थिति में संबंधित निविदादाता के उस सामग्री के दर

को अमान्य कर दिया जायेगा। आवंटन के अभाव में भुगतान लंबित रहने पर आपूर्ति बाधित नहीं करना होगा। क्रय समिति द्वारा प्राप्त नमूना स्वीकार करने पर न्यूनतम दर स्वीकृत किया जायेगा।

(5) सभी निविदाएँ क्रमवार फम्प्यूटराईज्ड/टंकित होना अनिवार्य है, अन्यथा स्वीकार योग्य नहीं होगा।

(6) निविदादाता को काराओं में आपूर्ति करने का तीन वर्षों का अनुभव होना चाहिए।

(7) विशेष जानकारी एवं निविदा सूचना की प्रति किसी भी कार्य दिवस एवं कार्यालय अवधि में अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

(8) क्रय समिति को यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि निविदा को बिना कारण बताये रद्द कर सकती है।

(9) सभी सामग्री बनाबन रहित एवं अच्छी गुणवत्तायुक्त आपूर्ति करना होगा। साथ ही वस्तुओं की दरें सभी आकस्मिक खर्च एवं कारा गोदामों तक पहुँचाने के साथ-साथ सभी कर सहित होगा।

(10) सभी संवेदकों के निविदा में प्रयुक्त कागजातों/बैंक गारन्टी का आवश्यकतानुसार जाँच करायी जायेगी। यदि किसी प्रकार की विसंगती पायी जाती है तो उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

खण्ड 'क'

दिनांक 1.4.2016 से 31.3.2017 तक के लिए खाद्ययान

1. चावल (मध्यम उसना) प्रति किलो.
- 2- गेहूँ (बनावन रहित) प्रति किलो-SFC से प्राप्त नहीं होने पर
3. अरहर दाल—प्रति किलो
4. मसूर दाल— प्रति किलो
5. चना दाल—प्रति किलो
6. चना—प्रति किलो
7. गुड़ (पीली चक्की)—प्रति किलो
8. चीनी—प्रति किलो
9. सरसों तेल—धारा ब्रान्ड (कारा निर्माणशाला से नहीं प्राप्त होने पर) प्रति लीटर
10. कोयला (स्टीम ग्रेड--2) प्रति किलो

11. जलावन लकड़ी (सुखा)—प्रति किलो
12. सुधा दूध—प्रति लीटर
13. सुधा दही—प्रति किलो
14. मिल्क पाउडर (COMFED से अप्राप्त होने पर)—प्रति किलो
15. पनीर—प्रति किलो (डेयरी से नहीं प्राप्त होने पर)
16. चायपत्ती—प्रति किलो
17. स्वस्थ मुर्गा का मॉस (साफ कर एवं काट कर)
18. ताजी एवं स्वस्थ मछली (रेहू/कतला साफकर एवं काटकर) प्रति किलो
19. रिफाईन तेल (धारा ब्रांड)—प्रति ली०
20. चना का भुजा—प्रति किलो
21. सोयाबीन—प्रति किलो
22. काबुली चना—प्रति किलो
23. मटर—प्रति किलो
24. चना का सत्तू (कारा निर्माणशाला से नहीं प्राप्त होने पर) प्रति किलो
25. मुर्गी का कच्चा अंडा प्रति नग
26. अरवा चावल (खीर के लिए)—प्रति किलो
27. ब्रेड (प्रति किलो) (कारा निर्माणशाला से प्राप्त नहीं होने पर)

खण्ड 'ख'

दिनांक 1.4.2016 से 31.3.2017 तक के लिए विविध सामग्री

01. दतवन (नीम अथवा बबूल का)—प्रति नग
2. धनियाँ (कारा निर्माणशाला से प्राप्त नहीं होने पर) प्र० किलो
3. गोहूँ पिसाई (जलती रहित कारा गादाम से ले जाने तथा पिसा कर वापस लाने का खर्च सहित प्रति किलो)
4. लहसून—प्रति किलो
5. जीरा (कारा निर्माणशाला से प्राप्त नहीं होने पर)

होने पर)–प्रति किलो 6. गोलकी (निर्माण कर्ता कारा से प्राप्त नहीं होने पर)–प्रति किलो 7. आदी–प्रति किलो 8. नमक (आयोडीन युक्त)–प्रति किलो 9. साबुदाना–प्रति किलो 10. सेबई–प्रति किलो 11. पीला सरसों (खड़ा)–प्रति किलो 12. चना का बेसन–प्रति किलो 13. चुड़ा–प्रति किलो 14. सूजी–प्रति किलो 15. मैदा–प्रति किलो 16. हल्दी (खड़ा)–प्रति किलो 17. मिर्चा (सुखा लाल)–प्रति किलो 18. तिलकुट–प्रति किलो 19. साबुत मूँग–प्रति किलो 20. गरम मसाला–प्रति किलो 21. नारियल झाड़ू–प्रति नग 22. नारियल रस्सी–प्रति किलो 23. चूना कली–प्रति किलो 24. रामरस मिट्टी–प्रति किलो 25. पीली मिट्टी–प्रति किलो 26. लोहे का पतला तार–प्रति किलो 27. बॉस का सूप–प्रति नग 28. सुतली–प्रति किलो 29. पटुआ–प्रति किलो 30. फिनाईल गोली–प्रति किलो 31. नील–प्रति किलो 32. धुमना–प्रति किलो 33. फिनीट तेल–प्रति ली0 34. ड्रेन ब्रस–प्रति नग. 35. फिनीट पम्प–प्रति नग 36. भीम पाउडर–प्रति किलो 37. गेमेक्सीन पाउडर–प्रति किलो 38. ब्लीचिंग पाउडर–प्रति किलो 39. पेन्ट ब्रस–प्रति नग 40. रेड़ी का तेल–प्रति किलो 41. चटाई–प्रति नग 42. लालटेन शीशा–प्रति नग 43. लालटेन बर्नर–प्रति नग 44. लालटेन फिता–प्रति मीटर 45. बॉस का टोकरी–प्रति नग 46. ताड़ चटाई–प्रति नग 47. टार्च बैट्री (एभरेडी)–प्रति नग 48. टार्च बल्ब–प्रति नग 49. बिजली बल्ब (200 वाट फिलीप्स) प्रति नग 50. बिजली बल्ब (100 वाट फिलीप्स) प्रति नग 51. सी.एफ.एल. बल्ब (20वाट) प्रति नग 52. सी.एफ.एल. बल्ब (30 वाट) प्रति नग 53. सी.एफ.एल.(35वाट)–प्रति नग 54. सी.एफ.एल.बल्ब(45 वाट) प्र0 नग 55. सी.एफ.एल.बल्ब(85वाट) प्र0 नग 56 एल.ई.डी बल्ब (8वाट) प्रति नग, 57. एल.ई.डी बल्ब (12वाट) प्रति नग 58. एल.ई.डी. बल्ब (14वाट) प्र0 नग 59. एल.ई.डी. बल्ब (18 वाट) प्रति नग 60. एल.ई.डी. बल्ब (24 वाट) प्र0 नग 61. एल.ई.डी. बल्ब (30 वाट) प्रति नग 62. बल्ब होल्डर –प्रति नग 63. बिजली स्वीच –प्रति नग 64. बल्ब शेड (प्लास्टिक का)–प्र0 नग 65. बिजली तार 3/20–प्रति मीटर 66. बिजली तार–7/20 प्रति मीटर 67. बिजली तार–23/76 प्रति मी0 68. बिजली का सिलिंग पंखा–प्रति नग 69. सिलिंग पंखा का कन्डेन्सर–प्रति नग 70. सिलिंग पंखा का क्वायल–प्रति नग 71. टेग–प्रति गुच्छा 72. पीन–प्रति डब्बा 73. फलाई लीफ–प्रति नग 74. लिफाफा बड़ा–प्रति नग 75. लिफाफा छोटा–प्रति नग 76. गोंद (100 ML) कैमेल–प्रति बोतल 77. सादा कागज–प्रति जिस्ता 78. कॉपी छोटा (1जिस्ता) प्रति नग 79. कॉपी छोटा (2 जिस्ता) प्रति नग 80. रजिस्टर (1 जिस्ता) प्रति नग 81. रजिस्टर (2 जिस्ता) प्रति नग 82. रजिस्टर (3 जिस्ता) प्रति नग 83. रजिस्टर (4 जिस्ता) प्रति नग 84. रजिस्टर (6 जिस्ता) प्रति नग 85. कार्बन (कोरस) प्रति पैकेट 86. लीड पेन 87. थीन पेपर–प्रति पैकेट 88. कम्प्यूटर पेपर (सैंचुरी) प्रति पैकेट (A–4 साईज) 89. प्रिंटर काट्रेज प्रति नग 90. ब्लैक सीडी (सोनी) प्रति नग 91. ताड़ का पंखा–प्रति नग 92. एसिड बोतल–प्रति नग 93. नारियल तेल(पैराशूट) प्रति किलो 94. लाईफबॉय साबुन (100 gm) प्रति नग (निर्माण कर्ता कारा से प्राप्त नहीं होने पर) 95. जानसन बेबी पाउडर (100 ग्राम) प्रति नग 96.सेनिटरी नैपकिन (प्रति पैकेट) 97. जानसेन बेबी सोप–प्रति नग 98. रंग–प्रति पुड़िया, 99. अबीर–प्रति किलो 100. लिंक ताला (70 नं0)–प्रति नग 101. लिंक ताला (65 नं0)–प्रति नग 102. लिंक ताला (60 नं0)–प्रति नग 103. लिंक ताला (55 नं0)–प्रति नग 104. स्टील चम्मच (छोटा)–प्रति नग 105. स्टील ग्लास (छोटा)–प्रति नग 106. स्टील थाली (छोटा)–प्रति नग 107. चापाकल हैण्डल–प्रति नग 108. चापाकल हेड कभर–प्रति नग 109. चापाकल वासर–प्रति नग 110. चापाकल प्लन्जर वासर–प्रति नग 111. चापाकल लड्डू वासर–प्रति नग 112. चापाकल पिस्टन–प्रति नग 113. चापाकल सॉकेट–प्रति नग 114. चापाकल नट बोल्ट 3/4–प्रति किलो 115. चापाकल जलेवी–प्रति नग

खण्ड 'ग'

दिनांक 1.04.2016 से 30.06.2016 तक के लिए हरी सब्जी, फल
,आलू एवं प्याज प्रति किलो

1. कागजी निम्बू (मध्यम आकार का प्रति नग)
2. बैंगन
3. करैला
4. बोदी
5. फुलगोभी
6. बंधागोभी
7. लाल साग
8. पालक साग
9. कदीमा
10. कद्दू
11. मूली (पत्ता रहित)
12. टमाटर
13. नेनुआ
14. कटहल
15. परवल
16. सेम
17. भिंडी
18. झिगुनी
19. सेब
19. पका केला (प्रति दर्जन)
21. संतरा
22. आलू (आठ सूत से कम नहीं)
23. प्याज
24. मुर्गी का कच्चा अंडा-प्र0 नग
25. खीरा

दिनांक 1.07.2016 से 30.09.2016 तक के लिए हरी सब्जी, फल
,आलू एवं प्याज प्रति किलो

1. कागजी निम्बू (मध्यम आकार का प्रति नग)
2. बैंगन
3. करैला
4. बोदी
5. भिन्डी
6. झिगुनी
7. लाल साग
8. पालक साग
9. कदीमा
10. कद्दू
11. मूली (पत्ता रहित)
12. परवल
13. नेनुआ
14. कन्दा
15. कच्चू
16. कटहल
17. सेम
18. सेब
19. पका केला (प्रति दर्जन)
20. संतरा
21. आलू (आठ सूत से कम नहीं)
22. प्याज
23. कुन्दरी
24. टमाटर
24. मुर्गी का कच्चा अंडा-प्रति नग
26. खीरा

दिनांक 1.10.2016 से 31.12.2016 तक के लिए हरी सब्जी, फल
,आलू एवं प्याज प्रति किलो

1. कागजी निम्बू (मध्यम आकार का प्रति नग)
2. बैंगन
3. करैला
4. बोदी
5. फुलगोभी
6. बंधागोभी
7. लाल साग
8. पालक साग
9. कदीमा
10. कद्दू
11. मूली (पत्ता रहित)
12. परवल
13. कुन्दरी
14. टमाटर
15. सेम
16. सेब
17. पका केला (प्रति दर्जन)
18. संतरा
19. आलू (आठ सूत से कम नहीं)
20. आँल
21. टमाटर
22. प्याज
23. मुर्गी का कच्चा अंडा-प्र0 नग
24. खीरा
25. गाजर

दिनांक 1.01.2017 से 31.03.2017 तक के लिए हरी सब्जी, फल
,आलू एवं प्याज प्रति किलो

1. कागजी निम्बू (मध्यम आकार का प्रति नग)
2. बैंगन
3. करैला
4. बोदी
5. फुलगोभी
6. बंधागोभी
7. लाल साग
8. पालक साग
9. कदीमा
10. कद्दू
11. मूली (पत्ता रहित)
12. टमाटर
13. सेब
14. पका केला (प्रति दर्जन)
15. संतरा
16. आलू (आठ सूत से कम नहीं)
17. प्याज
18. नेनुआ
19. झिग्गी
20. सेम
21. भिन्डी
22. कटहल
23. शलगम
24. परवल
25. मुर्गी का कच्चा अंडा-प्रति नग
26. गाजर
27. खीरा

खण्ड 'घ'

बिक्री हेतु निविदा (दिनांक 1.04.2016 से 31.03.2017 तक)

1. पुराना अखबार - प्रति किलो
2. टुटा फूटा पुराना एलबेस्टर - प्रति किलो
3. पुराना लोहा - प्रति किलों

अधीक्षक,

मंडलकारा, दरभंगा।